



**COLLEGE OF AGRICULTURE, LALSOT**  
(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY, JOBNER (JAIPUR) RAJASTHAN)


Dean

No. F. /Store-Farm/ACL/2024/1701-06

Dated: 06.06.2024


**OPEN TENDER NOTICE**

Sealed tenders in two envelopes Technical & Financial are invited from the reputed firms for the digging of borewell and supply of pipes, submersible electric pump, cable, starter etc. as per details given below. The tenders will be accepted upto 12.00 Noon on 14.06.2024 and will be opened at 1.00 PM on the same day at College of Agriculture, Lalsot. Bid documents can be obtained from this office by depositing bid document fees cash ₹ 500/- and also download from University website [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) & [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) (will have to submit DD or cash ₹ 500/- in favor of Dean, College of Agriculture, Lalsot, while submitting bid). Bidders have to quote their rates for each item separately in the performa attached. The committee has all right to accept/reject any tender without assigning the reasons thereof. The approximate purchasing can be increased/decreased. The estimated cost will be approximately 6.0 lakh and earnest money ₹ 12000/- ( for both construction of borewell and supply of submersibles, if they are doing work only construction of borewell than they have deposited earnest money Rs.8000 and 4000 for only supply of submersible electric pump, cable, starter etc. ) will be deposited DD or cash in favor of Dean, College of Agriculture, Lalsot failing which the tender will not accepted. Earnest money will be refunded to the non-successful firms after finalization of the tender and successful bidders after satisfactory work and supply of the items.

  
DEAN

Copy forwarded for information and necessary action:

1. PS to Hon'ble Vice-Chancellor, SKNAU, Jobner
2. The Comptroller, SKNAU, Jobner with the request that kindly depute your nominee for the same.
3. The O/I CIMCA with the request to upload this open tender on University website [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) & [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in)
4. The Convenor/Member Tender Committee, COA, Lalsot
5. Accounts Section, COA, Lalsot
6. Notice Boards, COA, Lalsot

  
DEAN

The following for college farm Departments at COA Lalsot

### 1. Digging of borewell

S.No.	Particulars	Quantity
1	Construction of 200 mm tube-well from ground levels and upto 250 feet depth and above to accommodate housing and assembly pipe of following sizes in all types of alluvium strata by Punjab Machine (Dola System) and with gravel as per IS:4097-1967 and packing as per IS:2800 (Part I -& II) 1979 as amended upto date (the work includes the cost of gravel & its primary packing and packing during development, lowering of housing & strainer assembly pipes, with supply and wrapping of coir-rope, wherever necessary, for arresting fine sand particles. The work will not include cost of housing pipe and strainer pipe assembly and development work, but work would be completed after obtaining sand free water)	250 feet depth from ground level ( below and above)
2	Construction of Tube-well upto 400 feets depth and above in all type of rocks by DTH system (Bhilwara Machine) and over burden, to accommodate casing pipe of following sizes in all types of soils and over burden including lowering of casing pipes, but excluding cost of casing pipes as per IS : 2800 (Part I & II) 1979 specifications. The work would be completed after obtaining sand free water. The tube well should have a throughout bore as per nominal dia of casing pipe: 200 mm dia Nominal bore.	Up to 400 feet depth from ground water level (below and above)
3	Supply of ERW M.S. black casing pipe not below 100 kg per 6 meter of following sizes at site of work. 200 mm nominal bore.	250 feet depth (above and below)
4	Supply of strainer pipes made of ERW M.S. black pipe not below 100 kg per 6 meter of following sizes at site of work. 200 mm nominal bore.	6 or 12 meter
5	Development of tubewell as per IS specification using suitable compressor to give sand free water for required yield of the gravel packed tube well	Up to sand free water
6	S & F tube well cover of M.S.sheet (6mm thick) with nuts and bolts complete for casing size: 200mm dia	For two borewell
7	S & F M.S. clamp, set of 50 ×6mm flat iron with nuts and bolts etc. for holding the riser pipe assembly of submersible pump set.	For two borewell

### 2. Supply of electric pump set and accessories

S.N.	Name of items	Specifications	Quantity
1	electric pump se	Discharge Range : 500-1000 LPM Number of stage : Multi stage Pump Type : borewell Motor Phase : Three 12.5/12 mix flow Head : 51-200 Meter Usage : Agriculture Power sources : Ac Powered Diameter : 100 mm Warrenty: 2 yers	02
2	Starter	HP: 15 Phase : Three Relay range : 13.2-20A Warrenty : 2 Years	02
3	Electric cable	Material : PVC Certification : IS-694 Conductor Material : Copper	700 feets

		No of core : 3 core Nominal area : 6 mm <sup>2</sup> Type : Submersible pump motor cable Warrenty : 2 Years ISI Marks	
4	Pipe	2 inch hdpe pipe ISI marks with fitting (cluding flinch and nut-bolt), thickness 5mm, 10 kg /cm <sup>2</sup>	600 feet
5	Plastic rope	20 mm garfil	550 feet
6	Assessaries.	Board,cut out,electric meters & others	2 Set


### Terms and conditions-

1. Sealed tender are invited on presenting basis item rate for the above work from the registered contractor of various department which will be received & opened by TAP Committee members, COA, Lalsot at the time & date of shown respectively at para (c) and (i) in the presence of those contractor who wish to be present.
2. Rate for tender premium quoted should be inclusive of all taxes and charges. No extra payment will be made for tax/duty/royalty or other charges.
3. For the item of the work shown in 'G' schedule which have a reference to the B.S.R. of Rajasthan PWD (B&R) in force of the date of opening of the tender of the relevant circle of PWD shall be, consider correct and applicable in the case of any discrepancy.
4. The contractor shall bind himself/themselves to carry out quantity up to 50% excess of the quantities mentioned in the 'G' schedule at the rate quoted by him/them in this tender, which may have been in force at the opening of the tender.
5. Work shall be done as per PWD (BSR) Rajasthan Standard Specification which may have been in force time to time and measurements will be done accordingly.
6. Decision of the Hon'ble Vice Chancellor, SKNAU, Jobner in matters of dispute shall be conclusive, binding and final.
7. Contractors are supposed to see the site conditions and quarries and no claim for any lead other than that including in the rates of various items of works shall be entertained by the university. The rates as shown against various items are complete and final.
8. Work shall be completed in all respect within the period of completion shown from the date of written in work order to commence the work.
9. For reason beyond the control of the contractor, the university authorities may grant extension of the time for the period as considered reasonable.
10. Condition of any sort except as provided in the printed from PWD MF, amended up to date will be entertained. The condition in lieu with from PWD MF-64 will be a binding on the contractor.
11. Any conditional tender will not be accepted.
12. The offer shall remain valid for a period of six months record from the date of receipt of the tender.
13. Contractors should sign each page of the Tender documents including term and conditions incomplete tenders are liable to be rejected.

14. The undersigned reserves full powers to reject any or all tenders without assigning any reasons
15. MS, strainer pipe and other pipe should be supplied accordingly tender dimensions.
16. The bill will be processed after satisfactory report of the Farm Incharge and Dean, COA, Lalsot.
17. Payment should be done after processing of bill through treasury office.
18. All the items should be according IS specifications
19. The brochure of the items, if available, be submitted.
20. The cost will be inclusive of all the taxes, packing and delivery at College of Agriculture, Lalsot Dausa) Rajasthan
21. Free delivery, installation and demonstration of operation of the instrument. Instructional manual to be provided.
22. The supplier should enclose the technical compliance statements against our technical specifications clearly mentioning for each point. The statement should be supported by relevant literature.
23. Toll Free No. for service support with service center
24. If the same rates have been quoted by two or more tenders the committee will be authorized to finalize as per turnover and service experience.
25. The rates quoting should have GST number for fill the tender & submit document with technical envelop.
26. The responsibility of GST/other charges etc.as per Government rules.
27. All the items must be of standard
28. Manufacturer/company should have ISI/CE/ISO/WHO/GMP certification.
29. Credibility: Similar installations of this kind (of the same model) should have been made by company in recognized Government research institute/university, and provide the user's list for the same model at least 3 installations.

**Bids shall satisfy the following conditions:**


1. The rate will be quoted in the format provided (Annexure II) in INR only and there should be clear mention of net price of the item and taxes (GST & others, if any), separately. Rate shall be valid for a minimum period of 180 days from the last date fixed for the receipt of quotations.
2. The rate quoted shall be for free delivery and installation at College of Agriculture, Lalsot. Delivery within 10 days after receipt of purchase order.
3. Full specifications of the article quoted for shall be given in the quotation along with literature/pamphlet/drawing and name of brand and model No. of instrument etc.
4. User list of the quoted item (at least three in Government organizations, only with user satisfactory certificates) may also be additionally provided reference.
5. If the bid is submitted by the authorized dealer on behalf of the Manufacturer/OEM, then valid authorization certificate of the Manufacturer/OEM must be attached with the bid.
6. The EMD shall be refunded to the unsuccessful bidders after finalization of the tender. In case of successful bidder, it can be adjusted towards security/performance deposit which is 5.0% of the order value in the form of D.D. from nationalize bank drawn in favor of Dean, College of Agriculture, Lalsot payable at Lalsot and shall remain valid for 60 days beyond the date of completion of all contractual obligation of supplier including warranty obligation for the equipment costing ₹ one lac or more.



7. The Dean, College of Agriculture, Lalsot reserves the right to accept or reject any or all the quotations either in full or in parts without assigning any reason.
8. Scanned copy of GST/PAN/CST nos. may be attached with the bid.
9. Technical and financial bids are to be prepared separately. If technical and financial bids are not given separately, it will be rejected out rightly with assigning any reason.
10. In case, any dispute arising out of this contractor shall be subject to the Jurisdiction of Indian laws and Court at Jaipur. Price preference and/or purchase preference as per provisions of Government of Rajasthan shall be admissible in evaluation and award of contract.

The following documents must be furnished with the technical bid (Annexure I) failing which tender will not be accepted at all.

1. Scanned copy of GST/PAN/CST nos. with bank details.
2. Current Authorization letter issued from Manufacture/Principle Firm whichever is applicable.
3. Earnest Money Deposit (EMD) as per items quote.
4. BIS License with schedule for ISI Marked Product (whichever is applicable).
5. Financial Bid should be submitted separately in sealed envelope as per the format given in Annexure II.
6. Statement of past supplies and performance (at least 03 in Government organizations only) with user's satisfactory certificate.
7. Three year turnover
8. Fall Clause certificate should be enclosed
9. Experience for technical know how for maintenance and operation.
10. Audited balance sheets for last three years turn over minimum 6.0 Lakh per annum
11. Not black listed from last three years



# कृषि महाविद्यालय, लालसोट

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)  
वित्तीय निविदा प्रपत्र  
(लिफाफा नं. 01)


- 1- ..... के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
- 2- निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता.....  
.....
- 3- नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट ।
- 4- सन्दर्भ : No. F. /Store-Farm/ACL/2024/1701-06 dated 06.06.2024
- 5- निविदा शुल्क रु..... नकद/चैक जो रसीद सं.....  
..... द्वारा जमा कराया गया ।
- 6- हम निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....  
की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर हैं, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।
- 7- चाहे गये सामान/कार्य के लिए हमारी दरें इस प्रकार हैं – List enclosed – Annexure-II  
नोट— जिस फर्म की दर कुल मिलाकर न्यूनतम आयेगी वही अनुमोदित होगी ।
- 8- उपरोक्त दरें...31 मई 2025 तक मान्य रहेंगी जिसे आपसी सहमति से तीन माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
- 9- ड्राफ्ट/चैक नं..... नकद रसीद सं..... दिनांक..... रूपये.....  
..... धरोहर राशि के साथ संलग्न है ।
- 10- आयकर विवरणी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन/**PAN/TAN** नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है ।
- 11- निर्माता/डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है ।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

कृषि महाविद्यालय, लालसोट  
तकनीकी बिड  
(लिफाफा नं. 01)

ANNEXURE-II

S.No.	Particulars	Quantity	Confirm of specification by bidder is Yes/ No	Make and Model number	Signature
1	Construction of 200 mm tube-well from ground levels and upto 200 feet depth and above to accommodate housing and assembly pipe of following sizes in all types of alluvium strata by Punjab Machine (Dola System) and with gravel as per IS:4097-1967 and packing as per IS:2800 (Part I -& II) 1979 as amended upto date (the work includes the cost of gravel & its primary packing and packing during development, lowering of housing & strainer assembly pipes, with supply and wrapping of coir-rope, wherever necessary, for arresting fine sand particles. The work will not include cost of housing pipe and strainer pipe assembly and development work, but work would be completed after obtaining sand free water)	200 feet depth from ground level (above and below)			
2	Construction of Tube-well upto 200 Meter depth and above in all type of rocks by DTH system (Bhilwara Machine) and over burden, to accommodate casing pipe of following sizes in all types of soils and over burden including lowering of casing pipes, but excluding cost of casing pipes as per IS : 2800 (Part I & II) 1979 specifications. The work would be completed after obtaining sand free water. The tube well should have a throughout bore as per nominal dia of casing pipe: 200 mm dia Nominal bore.	Up to 400 feet depth from ground water level (above and below)			
3	Supply of ERW M.S. black casing pipe not below 100 kg per 6 meter of following sizes at site of work. 200 mm nominal bore.	230 feet depth (above and below)			
4	Supply of strainer pipes made of ERW M.S. black pipe not below 100 kg per 6 meter of following sizes at site of work. 200 mm nominal bore.	6 or 12 meter			
5	Development of tube well as per IS specification using suitable compressor to give sand free water for required yield of the gravel packed tube well	Up to sand free water			
6	S & F tube well cover of M.S.sheet (6mm thick) with nuts and bolts complete for casing size: 200mm dia				
7	S & F M.S. clamp, set of 50 ×6mm flat iron with nuts and bolts etc. for holding the riser pipe assembly of submersible pump set.				



## Electric Pump & accessories

S.N	Name of items	Specifications	Quantity	Confirm of specification by bidder is Yes/ No	Make and Model number	Signature
1	electric pump set	Discharge Range : 500-1000 LP Number of stage : Multi stage Pump Type : borewell Motor Phase : Three ,12.5/12 mix flow Head : 51-200 Meter Usage : Agriculture Power sources : Ac Powered Diameter : 100 mm Warrenty: 2 yers	02			
2	Starter	HP: 15 Phase : Three Relay range : 13.2-20A Warrenty : 2 Years	02			
3	Electric cable	Material : PVC Certification : IS-694 Conductor Material : Copper No of core : 3 core Nominal area : 6 mm <sup>2</sup> Type : Submersible pump moto cable Warrenty : 2 Years ISI Marks	700 feets			
4	Pipe	2 inch hdpe pipe ISI marks with fitting (cluding flinch and nut-bolt), thickness 5mm, 10 kg /cm	600 feets			
5	Plastic rope	20 mm garfil	550 feet			
6	Assessaries.	Board,cut out,electric meters & others	2 Set			

\* Price including IMD, testing, packing and forwarding charges.

Dated:

Signature

Name in Tendere



# College of Agriculture, Lalsot

## Financial Bid: Construction of borewell and supply of electric pump etc.

No. F. /Store-Farm/ACL/2024/1701-06

Dated: 06.06.2024

(लिफाफा नं. 02)

ANNEXURE-II

S.No.	Particulars	Quantity	Price	Rate in Rs. per unit	Total rate with GST
1	Construction of 200 mm tube-well from ground levels and upto 200 feet depth and above to accommodate housing and assembly pipe of following sizes in all types of alluvium strata by Punjab Machine (Dola System) and with gravel as per IS:4097-1967 and packing as per IS:2800 (Part I -& II) 1979 as amended upto date (the work includes the cost of gravel & its primary packing and packing during development, lowering of housing & strainer assembly pipes, with supply and wrapping of coir-rope, wherever necessary, for arresting fine sand particles. The work will not include cost of housing pipe and strainer pipe assembly and development work, but work would be completed after obtaining sand free water)	200 feet depth from ground level (above and below)	Per feet / Rs.		
2	Construction of Tube-well upto 200 Meter depth and above in all type of rocks by DTH system (Bhilwara Machine) and over burden, to accommodate casing pipe of following sizes in all types of soils and over burden including lowering of casing pipes, but excluding cost of casing pipes as per IS : 2800 (Part I & II) 1979 specifications. The work would be completed after obtaining sand free water. The tube well should have a throughout bore as per nominal dia of casing pipe: 200 mm dia Nominal bore.	Up to 400 feet depth from ground water level (above and below)	Per feet / Rs.		
3	Supply of ERW M.S. black casing pipe not below 100 kg per 6 meter of following sizes at site of work. 200 mm nominal bore.	230 feet depth (above and below)	Per feet / Rs.		
4	Supply of strainer pipes made of ERW M.S. black pipe not below 100 kg per 6 meter of following sizes at site of work. 200 mm nominal bore.	6 or 12 meter	Per feet / Rs.		
5	Development of tube well as per IS specification using suitable compressor to give sand free water for required yield of the gravel packed tube well	Up to sand free water	Hrs. / Rs		
6	S & F tube well cover of M.S.sheet (6mm thick) with nuts and bolts complete for casing size: 200mm dia		Per PC		
7	S & F M.S. clamp, set of 50 ×6mm flat iron with nuts and bolts etc. for holding the riser pipe assembly of submersible pump set.		Per PC		

\* Price including IMD, testing, packing and forwarding charges.

Dated:

Signature

# College of Agriculture, Lalsot

Financial Bid: Construction of borewell and supply of electric pump etc.

No. F. /Store-Farm/ACL/2024/1701-06

Dated: 06.06.2024

(लिफाफा नं. 02)

ANNEXURE-II

Supply of electric pump set and accessories

S . N o .	Particular s	Quantity	Quantity	Price	Rate in Rs. per unit	Total rate with GST
1	electric pump set	Discharge Range : 500-1000 LPM Number of stage : Multi stage Pump Type : borewell Motor Phase : Three 12.5/12 mix flow Head : 15-100 m Usage : Agriculture Power sources : Ac Powered Diameter : 150 mm Warrenty: 2 yers	2			
2	Starter	HP: 15 Phase : Three Relay range : 13.2-20A Warrenty : 2 Years	2			
3	Electric cable	Material : PVC Certification : IS-694 Conductor Material : Copper No of core : 3 core Nominal area : 6 mm <sup>2</sup> Type : Submersible pump motor cable Warrenty : 2 Years	600 Feet			
4	Rope	20 mm garfil	550 feet			
5	Deliver pipe HDPE 2"	10 kg/cm <sup>2</sup> two inch capacity	600 feet			
6	Assessaries	Board,cut out,electric meters & others	2 Set			

\*Price including IMD, testing, packing and forwarding charges.

Dated:


Signature

Name in capital  
Company/Firm

**कृषि महाविद्यालय, लालसोट**  
तकनीकी बिड  
(लिफाफा नं. 01)

**निविदा की नियम व शर्तें :-**


1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
2. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेजात संलग्न करें ।
3. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी। निविदा के साथ 2% धरोहर राशि ₹ 12000/- आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा के साथ TAN/PAN नम्बर आयकर/बिक्री कर किलीयरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में जिस पर इवतमूमसस बवदेजतनबजपवद के लिए निविदा लिखा हो प्रस्तुत करनी होगी।
6. निविदा मे कांट छांट नही होनी चाहिए। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
7. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि लौटायी नहीं जावेगी।
8. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
9. जमानत राशि 2 प्रतिशत जमा करानी होगी। जमानत राशि सामान सप्लाई/कार्य समाप्ति के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
10. निविदा के अनुसार सामान न देने व कार्य न करने/कार्य बीच में छोड़ने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार करना होगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र Lalsot ( Dausa) होगा।
13. न्यूनतम निविदा पर जिसे कमेटी उचित न समझे कृषि महाविद्यालय, Lalsot स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
14. निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, Lalsot को होगा।
15. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी।
16. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
17. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने मे असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। तथा जमानत राशी जब्त की जा सकेगी।
18. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय निविदा किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विष्वविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा जमानत राशी जब्त की जा सकेगी।
19. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संषोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नहीं है, द्वारा निविदा दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से ब्रिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय ब्रिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।
20. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-
  - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5
  - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0
  - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00



24. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर को यह अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भतरपुर को होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।
23. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तषाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विष्वविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए थ्रेसस बसनेम प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।
25. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) एवं कार्य संपादन राशि (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
26. केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ-साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी आधार माना जाएगा।
27. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
28. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्त, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

## 29 हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।



(ग)हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ)हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख)वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग)उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ)उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च)बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

**30. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विष्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

**1 अपील:—** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यक्षीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्षन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-र) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।


(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।


(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और

तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।




- (6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।
- परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।
- (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।
- (8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।
- (9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।
- (10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।
2. **अपील का प्रारूप** – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (प्रपत्र -‘र’) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

  
अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबद्धित रहूँगा/रहेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर




प्रपत्र – 'ब'

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (वितमिपज) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर




निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालयों में borewell construction Supply की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर






**Fall clause प्रमाण पत्र**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने इवतमूमसस बवदेजतनबजपवद ैनचचसल जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रज्जगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतषाषी संस्था आदि को संज्ञ मुनपचउमदजे आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विष्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर



**Affidavit**

**(on non-judicial stamp paper of 50/-)**

I..... S/o .....  
Aged..... yrs, residing at ..... Proprietor/Partner/Director of  
M/s ..... do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s ..... has been issued  
acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the  
District Industries Center.....The acknowledgment No.  
is ..... Dated ..... and has been issued  
for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)


(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum  
Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department  
and  
that the enterprise is regularly manufacturing the above items.  
(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is  
fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director  
Authorized Signatory with Rubber  
Stamp and date

**Verification**

I..... S/o .....Aged ..... yrs residing  
at ..... Proprietor / Partner/ Director of M/s .....  
verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to  
the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me  
God.

Deponent



वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (₹)
2021&22	-----
2022&23	-----
2023&24	-----
योग	-----

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष .....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मौहर एवं दिनांक

